

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 29, शुक्रवार, शाके 1948- जून 19, 2026 Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 29, 2026

संख्या एफ 89(27) उ.मा.वि./अध्यक्ष सदस्य/2025-00489 :- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उपधारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना एफ89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 एवं विभागीय अधिसूचना एफ89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 09.03.2022 के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य पद पर 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था:-

1. श्रीमती सरोज शर्मा
2. श्री दिनेश चतुर्वेदी
3. श्रीमती सविता सिंघल
4. श्रीमती जय श्री शर्मा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9982/2024 (GaneshKumar Rajeshwarrao Selukar and Ors. Vs. Mahendra Bhaskar Limaye and ors.) में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2025 के आलोक में उक्त चारों सदस्यों का कार्यकाल, नवीन नियुक्ति होने या नियम संशोधित होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अम्बरीष कुमार

शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)।